प्रकरण संख्या 43 / 20 GCMS ID-2020 / 00138 ता0रजु 27.11.2020

2

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

मनोज शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी विवेक विहार के पीछे, आनंद विहार कॉलोनी, करौली तहसील व जिला करौली राज. – अपीलाण्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस.डी.एम., करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी करौली

निर्णय

दिनांक–01.12.2020

यह अपील राजस्थान नगरपालिका मतदाता पंजीकरण आदेश 1974 की धारा 17 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी, अपीलार्थी की पत्नि व अपीलार्थी के छोटे भाई की पत्नि का नाम वार्ड नं. 51, नगर परिषद करौली की मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवेदन किया गया था परंतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा उक्त नाम वार्ड नं. 51, नगर परिषद करौली की मतदाता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रत्यर्थी से अपीलोत्तर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी करौली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं. 51 का स्थाई निवासी है जिसका मकान उसकी मां श्रीमति लीला देवी शर्मा के नाम से बना हुआ है और उस मकान में माता पिता के साथ संयुक्त रूप से मय परिवार रिहायश करता चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम उसके पैतृक गांव पंडितपुरा (कोंडर) की वोटर लिस्ट में दर्ज था जिसे अर्सा करीब 15–20 दिन पूर्व नियमानुसार आवेदन बी.एल.ओ. कोंडर ने पृथक कर दिया था तथा वार्ड नं. 51 की मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम जोड़ने के लिये नियमानुसार प्रपत्र भरकर उसके साथ मकान विद्युत बिल लगाकर ग्राम कोंडर व वार्ड नं. 51 को नगर परिषद करौली के बी. एल.ओ. ने अपनी टिप्पणी लिखते हुये आपके कार्यालय की निर्वाचन शाखा कमरा नं. 19 कलेक्ट्रेट करौली के श्री नंदकिशोर व्यास (नन्दू) लिपिक निर्वाचन शाखा को दे दिया जिन्होंने प्रार्थी को आश्वासन देकर बताया कि आपका फार्म पूर्ण है। आपका नाम निर्वाचन नामावली वार्ड सं. 51 में जुड जायेगा। वार्ड सं. 51 की मतदाता सूची देखने पर दिनांक 24.11.2020 को पता चला है कि प्रार्थी का नाम मतदाता सूची में नहीं है। राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 10 (6) में प्रावधान किया गया है कि उस वार्ड के किसी निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन की अंतिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचन नामावली की किसी भी प्रविष्ठी की संशोधित अभिग्रहित का अभिग्रहीत या लोपित नहीं किया जायेगा और किसी भी नाम को उसमें जोड़ने का निदेश नहीं दिया जायेगा। इसलिये प्रार्थी आज दिनांक 26.11.2020 की नाम निर्देशन की दिनांक 27.11.2020 से पूर्व उसके नाम को निर्वाचन नामावली में जोडने के लिये प्रार्थना पत्र पूर्व में उसके द्वारा नाम जोडने के आवेदन के विषय में प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रार्थी का नाम अविलम्ब मतदाता सूची वार्ड सं. 51 करौली में जोडे जाने के आदेश प्रदान करवायें जिससे प्रार्थी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो। प्रार्थी ने नाम जोडने के आवेदन फार्म पेश किये थे

जिला कलक्टर
करौली

जो निर्वाचन शाखा में मौजूद है। अंत में अपीलार्थी मनोज शर्मा, अपीलार्थी की पत्नि मनीषा शर्मा व छोटे भाई की पत्नि कृष्णा देवी का नाम करौली नगर परिषद के वार्ड संख्या 51 की मतदाता सूची में जोड़ने के आदेश प्रदान कर अविलम्ब नाम जुडवाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी ने पत्रांक–निर्वाचन / 2020 / 291 दिनांक 27.11.2020 से श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वयं, पत्नि एवं भाई की पत्नि को नगर परिषद करौली के वार्ड सं0 51 का स्थायी निवासी होना बताते हुए अपीलकर्ता श्री मनोज कुमार शर्मा, मनीषा देवी पत्नि श्री मनोज कुमार शर्मा, कृष्णा देवी पत्नि श्री मनीष शर्मा द्वारा नगर परिषद करौली के वार्ड सं0 51 की मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु प्ररूप 03 भरकर प्रस्तुत किया गया था। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी इन तीनों आवेदनकर्ताओं का नाम जोडने का दावा अस्वीकार करने की अनुशंषा की गई। नगर परिषद करौली के वार्ड सं0 51 की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत दावा का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किए जाने पर उक्त तीनों आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र के साथ नगर परिषद करौली के विवके बिहार के पीछे आनंद बिहार कॉलोनी में स्थायी रूप से निवासरत रहने का दस्तावेज संलग्न नही पाया गया । यहां यह भी निवेदन है कि उक्त तीनों आवेदनकर्ताओं के नाम वर्ष 2020 की ग्राम पंचायत कोंडर, पंचायत समिति करौली के वार्ड सं0 06 की मतदाता सूची के क्रम सं0 194 से 196 पर पूर्व से दर्ज है। प्रमाण में ग्राम पंचायत कोंडर की वर्ष 2020 की मतदाता सूची की प्रति संलग्न है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.), करौली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वार्ड नं. 51 नगर परिषद करौली की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु पेश किये गये आवेदन प्रपत्र 3 क साथ निवास स्थान का पता संलग्न नहीं किया था एवं अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम पंचायत कोंडर की वार्ड नं. 6 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। अपीलार्थी को दो जगह की मतदाता सूची में नाम रखने का अधिकार नहीं है और ना ही दिया जा सकता है। अतः अपील के सारहीन व तथ्यहीन पायी गई है जिसे खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रत्यर्थी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली